न्यायालय, श्री कुन्दन कुमार गुप्ता,

न्या.दंडा. प्रथम श्रेणी, बेगूसराय।

नालसी वाद– 1849 / 2022

लाल बहादुर साह गुप्ता बनाम् तिखन पासवान

	आदेश	
26.04.2023	परिवादी अनुपस्थित। वाद पुकारा गया। बार–बार पुकार पर भी परिवादी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। परिवाद–पत्र इस न्यायालय में श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेगूसराय के न्यायालय से धारा–192 द0प्र0स0 के अंतर्गत को जाँच एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने यह परिवाद–पत्र धारा 323,379,406,427,447,504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत दाखिल किया है। इस वाद में परिवादी का शपथ पर बयान दिनांक–21.10.22 को कराया गया। शपथ पर बयान से लेकर आज तक पर्याप्त अवसर देने के बावजूद परिवादी की ओर से इस वाद में कोई जाँच साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही किसी प्रकार की पैरवी की गई। इससे स्पष्ट होता है कि परिवादी को अब इस वाद में अभिरूचि नहीं रह गई है। केवल परिवादी के शपथ पर बयान के आधार पर परिवाद–पत्र में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रतर कार्यवाही हेतु समन निर्गत करना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरांत इस वाद को आगे और चलाना तर्कसंगत नहीं है। अतः वाद की अग्रिम कार्यवाही को समाप्त करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार वाद धारा–203 द0प्र0स0 के अंतर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार जिला अभिलेखागार, बेगूसराय में जमा करें। **न्या0 दंडा0 प्रथम श्रेणी, बेगूसराय**	